न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

उपस्थित- आदित्य चतुर्वेदी (एच.जे.एस)

J.O.Code No- UP 6311

सत्र वाद संख्या- 865/ 2025

सरकार **बनाम** सुनील कुमार सिंह आदि

दिनांक 20. 09. 2025

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त सुनील कुमार सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03- 9- 25 की सत्यप्रति प्रेषित की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत एप्लीकेशन अन्तर्गत 528 BNSS No- 24405/ 2025 मे पारित आदेश दिनांकित 03- 9- 25 के अनुक्रम मे अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही स्थगित की जाये।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एप्लीकेशन 528 BNSS No- 24405/ 2025 सुनील कुमार सिंह बनाम उ. प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 03- 9- 25 की सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध है। जिसके अवलोकन से विदित हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त पत्रावली की कार्यवाही अग्रिम आदेश तक के लिए अभियुक्त के विरूद्ध स्थगित की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांकित 03- 9- 25 को कम्पयूटर विभाग से सत्यापित कराया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण की कार्यवाही अग्रिम आदेश तक के लिए अभियुक्त सुनील कुमार सिंह के विरूद्ध स्थगित की गयी है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनाकिंत 03- 9- 25 के अनुपालन में इस सत्र वाद में **अभियुक्त सुनील कुमार सिंह के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक स्थगित की जाती है**। अभियुक्त के विरूद्ध यदि कोई बी. डब्लू/ एन. बी. डब्लू निर्गत किए गए हो तो उसे अविलम्ब वापस मंगाया जाये। **शेष अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली की कार्यवाही यथावत चलती रहे**गी।

पत्रावली नियत तिथि 25. 09. 2025 को पेश हो।

दिनांक- 20. 09. 2025

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश,
एस. सी. एस. टी एक्ट, झांसी।

Digitally signed by ADITYA
CHATURVEDI
Date: 2025.09.20 15:26:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court